

क्या बिकाजी के प्लांट में सब सही चल रहा है?



क्या बिकाजी के प्लांट में हो रहा है श्रम कानूनों का उल्लंघन?



भारत के व्यावसायिक नक्शे में बीकानेर की बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल लि का महत्वपूर्ण स्थान।

भुजिया की बात करें, तो जुबान 'बीकानेरी भुजिया' का स्वाद याद करने लगती है। मोठ की दाल, बेसन और मसालों से बना यह व्यंजन आज के समय में राजस्थान के बीकानेर की पहचान है। यह ऐसा स्नैक है, जिसे सुबह, दोपहर या शाम, आप जब चाहें खा सकते हैं।

बीकानेर स्थित 'बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल' ने भी बीकानेरी भुजिया को दुनियाभर में पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहते हैं कि 2010 में बीकानेरी भुजिया को 'GI Tag' दिलाने में बिकाजी ब्रांड का भी योगदान था। 'एथनिक स्नैक इंडस्ट्री' में बीकानेरी भुजिया बनानेवाली यह सबसे बड़ी ब्रांड है,

जहां हर दिन लगभग 60 मीट्रिक टन बीकानेरी भुजिया बनती है।

आज बीकानेर में उनका सबसे बड़ा भुजिया मैनुफैक्चरिंग प्लांट है, जहां काम करनेवाले लगभग 80% लोग बीकानेर से हैं। Bikaji Company को आगे बढ़ाने में इन सभी कारीगरों का योगदान है, जो पीढ़ियों से यह काम कर रहे हैं।

कंपनी के मैनुफैक्चरिंग प्लांट में नमकीन और भुजिया का उत्पाद बिना किसी 'ह्यूमन टच' के पूरी तरह से मशीनों से होता है। इसी तरह कंपनी के रसगुल्लों का उत्पादन भी पूरी तरह ऑटोमेटेड है। Bikaji Foods International Limited ने 2500 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया हुआ है। इनमें बीकानेर शहर के आसपास के गांवों की बहुत सी महिलाएं भी शामिल हैं।

बिकाजी के प्लांट में श्रम कानूनों के उल्लंघन का लग रहा आरोप, निर्धारित समय से अधिक 12 घंटे काम करवाया जाता है श्रमिकों से।

लेकिन अब बिकाजी के प्लांट में मजदूरों/कर्मचारियों के शोषण की बात सामने आ रही है। कंपनी में कई लेबर ठेकेदार हैं, जिनके अंतरगर्त सैंकड़ों श्रमिक काम करते हैं। नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर इस प्लांट में काम करने वाले कामगारों ने खुलकर अपनी पीड़ा बताई। कामगारों के अनुसार इस प्लांट में उनसे 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम लिया जाता है। वहीं श्रम कानून के तहत तय न्यूनतम पारिश्रमिक का भी भुगतान नहीं किया जाता है। पीएफ, ईएसआई, स्वास्थ्य बीमा और जरूरी सुरक्षा इंतजाम जैसी सुविधाएं तो दूर की बात है।





Details

Search:

Establishment ID	Establishment Name	Address	Office Name
KDMAL0211840000	BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LTD	PLOT NO. 39/40/41, AROON IND ESTATE	MALAD (KANDIVALI)
RJOD1613473000	BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LIMITED	F 196 TO 199, BICHHWAL IND. AREA	JODHPUR

कंपनी द्वारा नियमों के अनुसार जमा नहीं की जाती भविष्य निधि की राशि

नियम के अनुसार हर मजदूर को भविष्य निधि (पीएफ) देना अनिवार्य है, लेकिन बिकाजी के इस प्लांट के ठेकेदारी में काम करने वाले मजदूरों की भविष्य निधि नियमानुसार जमा नहीं की जाती है। श्रम विभाग भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से इस बात की पुष्टि होती है कि कंपनी द्वारा लगातार भविष्य निधि संबन्धित कानूनों की पालना में ढिलाई बरती जा रही है। वेबसाइट पर प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार **Bikaji Foods International Limited** के दो प्लांटों से संबन्धित आंकड़े सार्वजनिक हैं। जिसमें से एक महाराष्ट्र से संबन्धित है जबकि दूसरा बीकानेर से संबन्धित है। कंपनी द्वारा बीकानेर स्थित प्लांट के कर्मचारियों की जून 2011 से मई 2017 के समयावधि की पीएफ राशि एक साथ ही अर्थात् 15 जुलाई 2017 को जमा करवायी गयी। जून 2017 के बाद आज तक कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के PF का मासिक भुगतान तो किया जा रहा है लेकिन इस दरमियान कर्मचारियों की संख्या में लगातार उतार चढ़ाव आ रहा है। कंपनी द्वारा जून 2011 से लेकर जून 2014 तक लगातार 20 कर्मचारियों का ही नियमित रूप से पीएफ की राशि का भुगतान बताया गया है। ऐसे में क्या यह समझा जाए कि इस दरमियान कंपनी में केवल 20 कर्मचारी ही नियमित थे?

आंकड़ों के अनुसार कंपनी द्वारा अक्टूबर 2021 में कुल 2738 कर्मचारियों के पीएफ का कुल 75,54,756/- रुपए अंशदान जमा करवाया गया है। इन्हीं आंकड़ों के अनुसार कंपनी द्वारा जुलाई 2021 में सर्वाधिक 3394 कर्मचारियों के पीएफ का अंशदान जमा करवाया था।

जानकारों के अनुसार कंपनी द्वारा अपने अधिकांश कर्मचारियों का पीएफ अंशदान 1800 जमा करवाया जाता है।

इन नियमों की हो रही अनदेखी

1. श्रम विभाग, राजस्थान सरकार के नियमानुसार कंपनी में काम करने वाले मजदूरों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतनमान, भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा आदि सुविधा दिए जाने का प्रावधान है।
2. साथ ही पुरुष व महिला मजदूरों को समान वेतनमान का भी प्रावधान है।
3. मजदूरी की न्यूनतम दरे ठेकेदारों द्वारा नियुक्त श्रमिकों पर भी लागू होगी।
4. निर्धारित सामान्य कार्य के घंटों (8 घंटे प्रतिदिन) से अधिक किसी कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय (ओवर टाइम) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जाएगा।
5. 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और अक्षम व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें उसी श्रेणी (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल, एवं उच्च कुशल) के व्यक्तियों के बराबर देय होगी।



4012105004111	13-MAY-2021 14:52:27	19,84,722	APR-21	873
4012105004115	13-MAY-2021 15:42:45	31,60,880	APR-21	1407
4012106004671	15-JUN-2021 20:59:10	30,63,097	MAY-21	1321
4012106004806	15-JUN-2021 20:59:17	19,60,059	MAY-21	864
4012106004832	15-JUN-2021 18:46:11	59,462	MAY-21	19
4012106004839	15-JUN-2021 20:53:16	32,835	MAY-21	11
4012107003935	13-JUL-2021 09:43:39	33,61,565	JUN-21	1373
4012107003937	13-JUL-2021 10:30:58	20,77,218	JUN-21	914
4012107008686	30-JUL-2021 18:48:53	4,33,410	JUL-21	522
4012107008693	30-JUL-2021 18:15:41	2,02,188	JUL-21	305
4012108005173	14-AUG-2021 10:29:56	35,08,129	JUL-21	1427
4012108005358	14-AUG-2021 10:29:13	24,73,622	JUL-21	1140
4012109005873	15-SEP-2021 13:27:39	28,11,923	AUG-21	1242
4012109006115	15-SEP-2021 13:27:26	36,64,397	AUG-21	1463
4012110005757	14-OCT-2021 16:20:39	29,81,941	SEP-21	1285
4012110005900	14-OCT-2021 18:25:28	36,93,258	SEP-21	1482
4012111004800	13-NOV-2021 23:46:08	39,92,705	OCT-21	1434
4012111004990	13-NOV-2021 23:29:55	34,81,831	OCT-21	1280
4012111005743	15-NOV-2021 17:47:19	80,220	OCT-21	24

Registration No	Factory Name	Manufacturing Process	Power(HP/KVA/MW/MVA)	No. of Employee	NicCode
24493	BARKHA CERAMICS CO. PVT.LTD.	SANITARY WARE	149	99	25995
29678	BARSINGSAR THERMAL POWER PROJECT(NLC INDIA LIMITED730)	Generation & Transmission of Power	250	1500	35107
16212	BAVLA FLOUR & OIL MILLS	OIL & COTTON GINNING	25	9	1632
25149	BHADU OIL AND GENERAL MILLS	EXPELLER MUSTERED OIL COTTON	450	49	10402
21686	BHAGWATI INDUSTRIES	CARPET WOOLLEN YARN	85	45	13932
22633	BHAGWATI SAW MILLS	WOOD SAWING	15	9	16101
23668	BHARAT PETROLIUM CORPORATION LTD.	Bottling and statutory testing and painting of the LPG cylinder in factory license no. RJ-23668	467	99	19201
32199	BHAWANI WOOLTEX PVT.LTD.	CARPET WOOLLEN YARN & WASHING	118	100	13932
1242	BHUNESH ARA MACHINE	WOOD SAWING	10	9	16101
23601	BIHANI WOOLLENS PVT.LTD.	MANUFACTURING OF CARPET WOOLLEN YARN	90	20	13932
16155	BIHARI WOOLLEN MILLS	CARPET WOOLLEN YARN	135	45	13932
31622	BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LIMITED	Bhujia , Papad, Namkeen, Sweats , Snacks and Frozen Foods.	3015	1750	10796
30569	BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LTD UNIT III	COOKIES,MADA,NAMKEEN,PAPAR	149	248	10796
879	BIKANER BOARD SAW MACHINE	WOOD SAWING	10	9	16101

फैक्ट्री एवं बोयलर विभाग, राजस्थान सरकार के अनुसार बिकाजी के बीकानेर स्थित प्लांट में कर्मचारियों की संख्या 1750 और 248 बताई गयी है।

क्रम	लगने वाले श्रम कानून
1	The Equal Remuneration Act, 1976
2	The Industrial Disputes Act 1947 (Rajasthan Amendment) Act, 2014
3	The Industrial Employment (Standing Order) Act, 1946
4	The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979
5	The Maternity Benefits Act, 1961
6	The Minimum Wages Act, 1948
7	The Motor Transport Workers Act, 1961
8	The Payment of Bonus Act, 1965
9	The Payment of Gratuity Act, 1972
10	The Payment of Wages Act, 1936
11	The Child Labour (Prohibition And Regulation) Act, 1986
12	The Trade Unions Act, 1926
13	Unorganised Workers's Social Security Act,2008
14	Bonded Labour System (Abolition) A ct,1976
15	The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (Rajasthan Amendment) Act, 2014
16	The Employee Compensation Act, 1923

बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर
बना राजस्थान का पहला बाल श्रम
मुक्त औद्योगिक क्षेत्र,क्या इससे
पहले होता था बिकाजी के प्लांट में
बाल श्रम?

बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर बना
राजस्थान का पहला बाल श्रम मुक्त औद्योगिक क्षेत्र

बीकानेर के औद्योगिक क्षेत्र विगत कई

सालों से बाल श्रम के अड्डे रहे हैं।गत माह बाल श्रम मुक्त बीकाना अभियान के तहत बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र को राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल द्वारा राजस्थान का पहला बाल श्रमिक मुक्त औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया।जिला कलक्टर नमित मेहता ने बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र द्वारा कार्यक्रम में बताया कि बीकानेर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों एवं बीछवाल उद्योग संघ के अध्यक्ष प्रशांत कंसल के संयुक्त प्रयासों से बीकानेर को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है।बीकानेर के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों को इस और पहल करते हुए पूरे बीकानेर जिले को बाल श्रमिक मुक्त करवाने की दिशा की और प्रयास करने चाहिए।

नाम नहीं छापने की शर्त पर सूत्रों द्वारा बताया गया कि इस अभियान से पूर्व कंपनी के प्लांट में भी ठेकेदारों के द्वारा बाल श्रम करवाया जाता था।लेकिन प्रशासन के सख्त अभियान के चलते कंपनी द्वारा फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है।ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या भविष्य में बाल श्रम को कंपनी से दूर रखा जा सकेगा?

**क्या कंपनी के प्लांटों में है
दुर्घटना से बचाव संबंधी
इंतजामात?**

वर्तमान में कंपनी के दो प्लांट
बीकानेर के औद्योगिक क्षेत्र में
संचालित किए जा रहे हैं।चार साल
में कंपनी के प्लांटों में 2 बार भीषण
आग लग चुकी है। दोनों बार आग
लगने के मामूली कारण थे, वो तो
गनीमत रही कि आग से किसी प्रकार
के जानोमाल का नुकसान नहीं
हुआ।सवाल यह है कि दुनिया की
वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री होने का दावा



करने वाली फैक्ट्री में मामूली कारणों से कैसे इतनी भीषण आग लग जाती है?जिन प्लांटों में सैकड़ों मजदूर दिन रात काम करते हैं उन प्लांटों में भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचाव के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं?

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या वाकई बिकाजी के प्लांट्स में श्रम कानूनों की अनदेखी की जा रही है?
2. क्या कंपनी के सभी श्रमिकों, कर्मचारियों (नियमित एवं संविदा कर्मियों) को श्रम विभाग, राजस्थान सरकार के नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम वेतनमान, भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा आदि सुविधा दी जा रही है?
3. क्या कंपनी में कार्यरत मजदूरों/कर्मचारियों (नियमित एवं संविदा कर्मियों) को निर्धारित सामान्य कार्य के घंटों (8 घंटे प्रतिदिन) से अधिक कार्य करवाने पर अधिसमय (ओवर टाइम) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जा रहा है?
4. क्या कंपनी के प्लांट में पहले बाल मजदूरी करवायी जाती थी? वर्तमान में बाल मजदूरी की क्या स्थिति है?
5. कंपनी में कार्यरत नियमित कर्मियों (नियमित एवं संविदा कर्मियों) की संख्या कितनी है? क्या इन कर्मियों के पीएफ़ ईएसआई, स्वास्थ्य बीमा का भुगतान नियमित रूप से करवाया जा रहा है?
6. कंपनी द्वारा जून 2011 से लेकर जून 2014 तक लगातार 20 कर्मचारियों का ही नियमित रूप से पीएफ़ की राशि का भुगतान बताया गया है। ऐसे में क्या यह समझा जा सकता है कि इस दरमियान कंपनी में केवल 20 कर्मचारी ही नियमित थे?
7. कंपनी द्वारा कितने ठेकेदारों से ठेके पर कार्य करवाया जाता है? क्या उन ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों का शोषण तो नहीं किया जाता?
8. श्रम विभाग को आज दिनांक तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी?
9. कंपनी की वेबसाइट के अनुसार कंपनी द्वारा एंटी सेक्सुअल हरेसमेंट पॉलिसी का पालन किया जाता है, इस पॉलिसी के अनुसार आज दिनांक तक महिला कर्मचारियों के शारीरिक शोषण के कितने मामले कंपनी के सामने आए? उन मामलों में कंपनी द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?
10. कंपनी के प्लांटों के आज तक होने वाली दुर्घटनाओं के क्या कारण रहे? क्या कंपनी ने इन दुर्घटनाओं से सीख लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं में सुधार किया?

